भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1866

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**पैनल वकीलों की नियुक्ति और पारिश्रमिक**

**1866. श्रीमती वंदना चव्हाण :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानूनी सेवा प्राधिकारियों द्वारा जिला और उप-मंडलीय स्तरों पर पैनल वकीलों की नियुक्ति के मानदंड और प्रक्रिया क्या-क्या है ;

(ख) क्या मजिस्ट्रेट न्यायालयों, सत्र न्यायालयों और विशेष न्यायालयों में कानूनी सहायता प्रदान करने वाले वकीलों को प्रति केस मानक पारिश्रमिक दिया जाता है; और (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) :** “राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) मुफ्त और सक्षम सेवा विनियम, 2010”, अधिवक्ताओं का पैनल बनाने के लिए मानदंड और प्रक्रिया उपबंधित करता है। चयन, महाधिवक्ता (उच्च न्यायलय के लिए), जिला अटार्नी या सरकारी प्लीडर (जिला और तालुका स्तर के लिए) और विनियम 10 के अधीन स्थापित मानीटरी समिति के साथ परामर्श करके, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (साल्सा) के कार्यकारी अध्यक्ष या सम्बधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा, गठित समिति द्वारा किया जाता है। विनियम, विधिक व्‍यवसायी को पैनल में रखने के लिए, न्‍यूनतम तीन वर्ष का अनुभव उपबंधित करता है।

**(ख) :** अधिवक्ताओ को देय फीस, सम्बधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (साल्सा), द्वारा, उनके द्वारा बनाये गये विनियमो के माध्यम से नियत की जाती है। फीस, राज्य-दर-राज्य, उस राज्‍य में वकीलों द्वारा सामान्‍यत: प्रभारित फीस के और सरकारी अधिवक्‍ताओं , विशेष अभियोजक, न्‍यायालय मित्र, आदि. को देय फीस पर भी, निर्भर करती है। तथापि, नाल्‍सा द्वारा नियुक्‍त समिति ने पैनल अधिवक्‍ताओं को नाल्‍सा के, केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा, अनुमोदित न्‍यूनतम फीस के लिए सिफारिश की है। केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा, अनुमोदित न्‍यूनतम फीस की अनुसूची नीचे दी गई है;

**अधिकरणों को सम्‍मिलित करते हुए सभी स्‍तरों पर अधीनस्‍थ न्‍यायालय**

i. सारभूत अभिवचनों का प्रारूपण जैसे कि वाद, वैवाहिक कार्यवाहियां जैसे कि विवाह-विच्‍छेद, भरण-पोषण, अभिरक्षा, प्रत्‍यास्‍थापन आदि., उत्‍तराधिकार, प्रोबेट, अपील के मीमों, पुनरीक्षण, लिखित कथन, उत्‍तर, प्रति-प्रत्‍युत्‍तर, प्रत्‍युत्‍तर आदि-1200/-।

ii. विविध आवेदनों का प्रारुप जैसे कि स्थगन, जमानत, निदेश, छुट, आदि-400/- प्रति आवेदन के अध्ययधीन रहते हुए सभी आवेदनों के लिए अधिकतम 800/-।

iii. 7500/- (प्रति मामला) की अधिकतम सीमा के अध्ययधीन रहते हुए,

प्रभावी सुनवाई के लिए उपस्थिति हेतु 750/- और अप्रभावी सुनवाई के लिए 500/- ।

**उच्च न्यायालय**

i. सारभूत अभिवचनों का प्रारूपण जैसे कि रिट याचिका, प्रति-शपथपत्र, अपील के मीमों, पुनरीक्षण, लिखित कथन, उत्‍तर, प्रति-प्रत्‍युत्‍तर, प्रत्‍युत्‍तर आदि-1500/-।

ii. विविध आवेदनों का प्रारुप जैसे कि स्थगन, जमानत, निदेश, छुट, आदि-500/- प्रति आवेदन के अध्ययधीन रहते हुए सभी आवेदनों के लिए अधिकतम 1000/-।

iii. 1000/- (प्रति मामला) की अधिकतम सीमा के अध्ययधीन रहते हुए,

प्रभावी सुनवाई के लिए उपस्थिति हेतु 1000/- और अप्रभावी सुनवाई के लिए 750/- ।

**(ग) :** क्या पैनल वकीलों की फीस, 2016 में नाल्सा द्वारा विहित फीस के एक समान हैं या उससे अधिक हैं या उससे कम हैं की साल्सा-वार सूचना देने वाला विवरण उपाबध-क पर हैं ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**उपाबंध-क**

श्रीमती वंदना चव्हाण, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1866 जिसका उत्तर ताराख 28.12.2018 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरणAnnexure-AउGGGउGGgdkdkg

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S.No.क्कक्र.सं.** | **SLSAsररराज्य विधिक सेवा प्राधिकरण** | **Whether the fee of Panel Lawyers is equal to/more than/less than the fee prescribed by NALSA in 2016.क्या वर्ष 2016 में नाल्सा द्वारा विहित फीस की तुलना में पैनल वकीलों की फीस एकसमान है/ अधिक है/ उससे कम है।** |
|  |
| 11 | Andhra Pradeshआंध्र प्रदेश | Equalएकसमान |  |
| 22 | Arunachal Pradeshअरुणाचल प्रदेश | Equalएकसमान |  |
| 33 | Assamअसम | Equalएकसमान |  |
| 44 | Biharबिहार | Equalएकसमान |  |
| 55 | Chhattisgarhछत्तीसगढ़ | Equalएकसमान |  |
| 66 | Goaगोवा | Lessकम |  |
| 77 | Gujaratगुजरात | Moreअधिक |  |
| 88 | Haryanaहरियाणा | Equalएकसमान |  |
| 99 | Himachal Pradeshहिमाचल प्रदेश | Equalएकसमान |  |
| 1010 | Jammu and Kashmirजम्मू - कश्मीर | Equalएकसमान |  |
| 111 1 | Jharkhandझारखंड | Equalएकसमान |  |
| 1212 | Karnatakaकर्नाटक | Equalएकसमान |  |
| 1313 | Keralaकेरल | Moreअधिक |  |
| 1414 | Madhya Pradeshमध्य प्रदेश | Equalएकसमान |  |
| 1515 | Maharashtraमहाराष्ट्र | Equalएकसमान |  |
| 1616 | Manipurमणिपुर | Equalएकसमान |  |
| 1717 | Meghalayaमेघालय | Lessकम |  |
| 1818 | Mizoramमिजोरम | Equalएकसमान |  |
| 1919 | Nagalandनागालैंड | Equalएकसमान |  |
| 2020 | Orissaओडिशा | Equalएकसमान |  |
| 2121 | Punjabपंजाब | Moreअधिक |  |
| 2222 | Rajasthanराजस्थान | Moreअधिक |  |
| 2323 | Sikkimसिक्किम | Equalएकसमान |  |
| 2424 | Tamil Naduतमिलनाडु | Equalएकसमान |  |
| 2525 | Telanganaतेलंगाना | Equalएकसमान |  |
| 2626 | Tripuraत्रिपुरा | Equalएकसमान |  |
| 2727 | Uttar Pradeshउत्तर प्रदेश | Rs. 750-00 per day.750-00 रु प्रति दिन |  |
| 2828 | Uttarakhandउत्तराखंड | Moreअधिक |  |
| 2929 | West Bengalपश्चिमी बंगाल | एकसमानEqual as well as moreएक |  |
| 3030 | Andaman & Nicobarअंदमान और निकोबार | Equalएकसमान |  |
| 3131 | Chandigarhचंडीगढ़ | Equalएकसमान |  |
| 3232 | Dadra & Nagar Haveliदादर और नागर हवेली | Lessकम |  |
| 3333 | Daman & Diuदमण और दीव | Equalएकसमान |  |
| 3434 | Delhiदिल्ली | Moreअधिक |  |
| 3535 | Lakshadweepलक्षद्वीप | Lessकम |  |
| 3636 | Puducherryपुडुचेरी | Equalएकसमान |  |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*­­­­­­­